अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{21 माघ, 1947 (शः)}}{\text{10 फरवरी, 2026 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	03
(2)	खेल विभाग	..	..	01
(3)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	01
			कुल योग --	05

सँाप को जंगली जानवर की श्रेणी में शामिल करना

9. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प वन्यप्राणी-02/2002 3696(ई0), दिनांक 19 जुलाई, 2024 के माध्यम से जंगली जानवरों द्वारा मानव जीवन, पशुधन, फसल एवं सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए सहायता राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प में सँाप के काटने अथवा उसके कारण मानव मृत्यु/क्षति को जंगली जानवर की श्रेणी में स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग सर्पदंश के कारण मृत्यु अथवा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, जबकि सँाप भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत संरक्षित जीवों की श्रेणी में आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्पदंश से मृत्यु अथवा क्षति को भी जंगली जानवरों से हुई क्षति की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए उक्त संकल्प में आवश्यक संशोधन कर सँाप को जंगली जानवर की श्रेणी में कबतक शामिल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दायित्व देना

10. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई एवं रख-रखाव का कार्य Out Sourcing के माध्यम से भिन्न-भिन्न एजेंसियों को दायित्व सौंपा गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रीगा, सुप्पी एवं बैरगनिया प्रखंडों के विद्यालयों में साफ-सफाई का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित प्रखंडों के एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव एवं साफ-सफाई हेतु अन्य एजेंसियों को दायित्व सौंपने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

11. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, खेल विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं भारतीय कबड्डी महासंघ के बीच पटना में महिला विश्वकप कबड्डी आयोजित करने हेतु राज्य कैबिनेट ने अपने बैठक दिनांक 4 फरवरी, 2025 द्वारा सैद्धांतिक सहमति एवं उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की कुल राशि 8,25,72,729.00 मात्र की स्वीकृति प्रदान की थी, परन्तु विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण विश्व कप महिला कबड्डी की मेजबानी बिहार के हाथ से निकल गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली

12. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के स्कूलों में विगत 14 वर्षों से पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली नहीं हुई है, जिसके कारण बिहार के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2014, 2018, 2022 एवं 2025 में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु मार्गदर्शिका भेजी जा चुकी है, किन्तु अबतक पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली की प्रक्रिया पर ग्रहण लगा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यांजलि पोर्टल पर 24 हजार स्कूलों का निबंधन

13. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 21 जनवरी, 2026 को प्रकाशित शीर्षक ''विद्यांजलि पोर्टल पर 24 हजार स्कूलों का निबंधन नहीं'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 24 हजार 597 स्कूलों का विद्यांजली पोर्टल पर निबंधन नहीं होने के कारण उन स्कूलों को एन0जी0ओ0 और सी0एस0आर0 के तहत योजना राशि नहीं मिलेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि खगड़िया, सीवान, सहरसा सहित अन्य जिलों में 20 फीसदी या उससे कम का विद्यांजली पोर्टल पर स्कूलों का निबंधन हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पोर्टल पर 24 हजार 597 स्कूलों का निबंधन, कबतक कराने का विचार रखती है ?

पटना :
दिनांक 10 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 23(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026